

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग  
शंकरनगर, रायपुर

अपील क्रमांक 264 / 2006

श्री संजय निहीचलानी,  
पिता श्री के.एल.निहीचलानी,  
निहीचलानी निवास,  
पोस्ट-नेवरा, तिल्दा  
जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

.....

अपीलार्थी

विरुद्ध

1. अपीलीय अधिकारी एवं  
कलेक्टर,  
रायपुर (छत्तीसगढ़)

.....

प्रतिअपीलार्थी

2. जन सूचना अधिकारी,  
कार्यालय कलेक्टर,  
रायपुर (छत्तीसगढ़)

.....

प्रतिअपीलार्थी

**:: आदेश ::**

( दिनांक 11 सितम्बर 2006 )

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र दिनांक 20-1-2006 के द्वारा जन सूचना अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, रायपुर से कुछ नजूल राजस्व प्रकरणों के संबंध में जानकारी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी के उनके पत्र दिनांक 13-02-2006 के द्वारा उन्हें उत्तर प्रदान किया गया कि "या तो प्रकरण नष्ट कर दिया गया है या तो प्रकरण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती" तथा 2 प्रकरणों की हेतु फीस जमा करने की सूचना दी। इसके विरुद्ध प्रथम अपील आवेदक के द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। बीच में आवेदक के द्वारा आयोग को शिकायत करने पर आयोग ने निर्देशित किया था, तब दिनांक 12-06-2006 के आदेश से प्रथम अपील पर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय प्रदान किया गया और अपील निरस्त की गई। इस आदेश से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई भी की गई। प्रकरण में रिकार्ड के आधार पर अपीलार्थी द्वारा कुछ विरोधाभास प्रस्तुत किये हैं कि कुछ

पत्र-व्यवहारों में जो प्रकरण नष्ट होने अथवा उपलब्ध नहीं होना बतलाया गया है, उसके संबंध में उल्लेख किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि वह उनके पास उपलब्ध है। अपीलार्थी ने यह भी बताया कि प्रथम अपील की सुनवाई का उन्हें नोटिस नहीं मिला। इस तरह सर्वे पंजी के बारे में एक स्थान पर बताया गया कि उपलब्ध नहीं है तथा दूसरे स्थान पर बताया गया कि अधिनियम में प्रावधान नहीं होने के कारण नहीं दी जा सकती। मौखिक तर्क के समय यह भी बताया गया संभवतः जाँच के समय कुछ नजूल प्रकरण, एक राजस्व अधिकारी के यहां घर पर तलाशी के दौरान पाये गये। अतः इसकी पूरी संभावना है कि जो प्रकरण उपलब्ध नहीं बताये गये हैं, हो सकता है कि वह प्रकरण वहां उपलब्ध हो। जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी का केवल यह लिखकर अपील एवं आवेदन निरस्त करना उचित प्रतीत नहीं होता कि **“प्रकरण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।”** प्रकरण का रख-रखाव और विनिष्टिकरण की एक निर्धारित प्रक्रिया है और उसके संबंध में जिम्मेदारी भी राजस्व अधिकारियों की रहती है। अतः कोई प्रकरण उपलब्ध नहीं है लिख देने मात्र से आवेदक के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अतः अब प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक द्वारा चाही गई समस्त जानकारी के संबंध में जो रिकार्ड है, उसका पुनः अच्छी तरह से खोजबीन की जावे। आवेदक को सुनवाई का मौका दिया जाकर उनके द्वारा बताये गये विरोधाभासों के आधार पर पुनः जाँचकर पूरी तुष्टि कर ली जावे और यदि मिल जाते हैं तो उनकी प्रतियाँ अब एक माह के अंदर उन्हें निःशुल्क प्रदान की जावे। यदि खोजबीन के बाद भी रिकार्ड नहीं मिलता है तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर प्रकरण गुम होने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे और साथ ही रिकार्ड का पुनर्निर्माण के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाकर और उसके उपरांत कार्यवाही पूर्ण कर आवेदक को जानकारी दी जावे। आवेदक को दो रिकार्ड दिया जा रहा था किन्तु उसने नहीं लिया, यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। जितनी जानकारी दी जा रही थी, उन्हें ले लेना चाहिए थी। अतः आवेदक को भी निर्देश दिये जाते हैं कि जितनी जानकारी उपलब्ध हो उसे वह तत्काल प्राप्त करे और शेष वांछित जानकारी के बारे में उपरोक्त निर्देशों के तहत कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर प्राप्त करे। साथ ही अपीलार्थी को 200/- रूपए क्षतिपूर्ति के रूप में अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अंतर्गत प्रदान किये जाने के निर्देश भी दिये जाते हैं।

अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिये जाते हैं।

( ए. के. विजयवर्गीय )  
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त